2012 का विधेयक सं. 13

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 90-क की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"(6) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में चाही गयी हो, वहां अनुज्ञा केवल तब ही प्रदान की जायेगी जब वांछित गैर-कृषिक प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो और उस क्षेत्र में प्रवृत्त मास्टर योजना या किसी अन्य विकास योजना या स्कीम, उसका जो कोई भी नाम हो, यदि कोई हो, के अनुरूप हो।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, जब

किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की तारीख को और से,-

(क) ऐसी भूमि पर, उस व्यक्ति के, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, अभिधृति अधिकार निर्वापित हो जायेंगे; और

(ख) वह भूमि धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है या ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों को आबंटन के लिए उपलब्ध होगी।

(8) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी नगरीय क्षेत्र की नगरयोग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने 17 जून, 1999 के पूर्व ऐसी भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या उसके भाग के तात्पर्यित गैर-कृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से

अलग हो गया है, वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवर्सित किये जाने के दायी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान का आदेश देगा और तदुपरान्त उक्त भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार, किसी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या उनको, या तो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार और हित इस उप-धारा के अधीन पर्यवसित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हों, या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या विक्रय के करार या मुख्तारनामे या वसीयत या भूमि के अंतरण के लिए तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर, उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के स्थानीय प्राधिकारी को संदाय के अध्यधीन रहते हुए, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु -

(i) इस उप-धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।

(ii) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां या आदेश ऐसी भूमियों के संबंध में आरम्भ नहीं की जायेंगी या नहीं किये जायेंगे जिनके लिए

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.33), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं.11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उप-धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "स्थानीय प्राधिकारी" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित या पदाभिहित या उसके कार्य के लिए न्यस्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास

प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका सम्मिलित है;

(ख) "नगरीय क्षेत्र" से, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जयपुर क्षेत्र, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जोधपुर क्षेत्र, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिक क्षेत्र या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 3 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकारी गठित या पदाभिहित किया गया हो, के अन्तर्गत आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "नगरयोग्य सीमाओं" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित नगरीय सीमाएं और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है, वहां उस नगरपालिक क्षेत्र की बाहरी सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(घ) "उपांत पट्टी" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित उपांत पट्टी और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है या जहां ऐसी योजना में उपांत पट्टी उपदर्शित नहीं की गयी है, वहां ऐसा क्षेत्र, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है।"।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-ख का हटाया जाना.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 90-ख हटायी जायेगी।

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 54-ख का संशोधन.-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं.25) की धारा 54-ख की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 49 का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.2) की धारा 49 में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 60 का संशोधन.-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 60 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन न्यास के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त न्यास द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या

दोनों का न्यास को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 6

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 71 का संशोधन.-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 71 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त नगरपालिका द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा में विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का नगरपालिका को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 337 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 337 की उप-धारा (2) का विद्यमान खण्ड (xviii) हटाया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार का यह विचार है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख के अधीन कृषि भूमि के संपरिवर्तन में कतिपय कठिनाइयां हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने धारा 90-ख को हटाने का विनिश्चय किया है।

तथापि, यह भी विनिश्चय किया गया है कि ऐसी कृषिक भूमियों के संबंध में, जिनका 17 जून, 1999 से पूर्व गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया है, का संपरिवर्तन उसी रीति से किया जाता रहेगा जिससे कि वह पूर्व में किया जा रहा था। इसलिए, यह महसूस किया गया कि धारा 90-क में आवश्यक उपबंध सम्मिलित किये जायें।

तदनुसार, धारा 90-ख का हटाया जाना और नगरीय क्षेत्रों में सरलीकृत, पारदर्शी और शीघ्र संपरिवर्तन का उपबंध करने की दृष्टि से धारा 90-क में कतिपय उपबंधों का अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 90-ख को हटाने और धारा 90-क में संशोधन करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन, और अन्य विधियों, अर्थात् जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में पारिणामिक संशोधन किये जाने आवश्यक हैं, जिन्हें भी प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्दश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, अधिनियमित किए जाने पर, भूमि के आबंटन या नियमितीकरण के लिए निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 5, अधिनियमित किए जाने पर, भूमि के आबंटन या नियमितीकरण के लिए निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 6, अधिनियमित किए जाने पर, राज्य सरकार को भूमि के आबंटन या नियमितीकरण के लिए निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 7, अधिनियमित किए जाने पर, राज्य सरकार को भूमि के आबंटन या नियमितीकरण के लिए निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के हैं और ब्यौरे के विषयों से संबंधित हैं।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

90-ख. कतिपय मामलों में भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 21) के प्रारंभ के पूर्व किसी नगरीय क्षेत्र की ऐसी नगर योग्य सीमाओं में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भी भूमिधारण करने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग का अकृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग के तात्पर्यित अकृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे किसी व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवसित किये जाने के दायी होंगे और ऐसी भूमि पुनर्गृहीत किये जाने की दायी होगी।

(2) जहां कोई भी भूमि उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन पुनर्गृहीत किये जाने की दायी हो गयी है वहां कलक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील करेगा कि उक्त भूमि के संक्षेपत: पुनर्गृहीत क्यों नहीं कर लिया जाये, और ऐसे नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि की विशिष्टियां, प्रस्तावित कार्रवाई का कारण, वह स्थान, समय और तारीख, जहां और जब मामले की सुनवाई की जावेगी, अन्तर्विष्ट हो सकेगी।

(3) जब ऐसी भूमि का काश्तकार या धारक या, यथास्थिति, उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि को आवासन या वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्द्ध-वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल पम्प के प्रयोजनों के लिए या, मल्टिप्लेक्स इकाइयों, अवसंरचना परियोजनाओं या पर्यटन परियोजनाओं के प्रयोजना के लिए या, अन्य सामुदायिक सुविधाओं के या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार द्वार अधिसूचित किए जाये विकसित करने के आशय से, ऐसी भूमि में के अपने अधिकारों को अभ्यार्पित करने के लिए अपनी रजामन्दी अभिव्यक्त करते हुए कलक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करता है तो कलक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की रजामन्दी के बारे में समाधान होने पर, उक्त भूमि में के ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान के लिए ओर ऐसी भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए आदेश देगा।

(4) मामले की कार्यवाहियां संक्षेपत: संचालित की जायेंगी और साधारणतया उप-धारा (2) के अधीन तामील किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर समाप्त की जायेंगी।

(5) जहां पक्षकारों को सुनने के पश्चात् कलक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो कि भूमि, उप-धारा (1) के अधीन पुनर्गृहीत की जाने की दायी है वहां वह कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उक्त भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान के लिए और उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए आदेश देगा।

(6) उप-धारा (3) और (5) के अधीन इस प्रकार पुनर्ग्रहीत भूमि समस्त भार ग्रस्तताओं से मुक्त रूप में राज्य में

निहित होगी और ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से इस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के अधीन रखी गयी समझी जायेगी:

परन्तु उक्त उप-धारा (3) के अधीन अभ्यर्पित भूमि ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी जो भूमि को, आवासन, वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्द्ध-वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल पम्प के प्रयोजनों के लिए या, मल्टिप्लेक्स इकाइयों, अवसंरचना परियोजनाओं या पर्यटन परियोजनाओं के प्रयोजना के लिए या, अन्य सामुदायिक सुविधाओं के या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय पर लागू नियमों, विनियमों और उप-विधियों के अनुसार उसका सुनियोजित विकास करने के लिए, अभ्यर्पित करता है।

(7) उप-धारा (5) के अधीन किये गये आदेश से व्यथित व्यक्ति उप-धारा (5) के अधीन आदेश पारित होने के तीस दिन के भीतर-भीतर खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(8) खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उसके समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

(9) खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन अपील में पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(10) किसी भी सिविल न्यायालय को, कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप-धारा (5) के अधीन किये गये आदेश को या खण्ड आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप-धारा (8) के अधीन किये

गये किसी आदेश को प्रश्नगत करने वाले किसी भी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(11) इस धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी भी लोक न्यास या किसी भी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगीः

परन्तु जहां लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी लोक न्यास या कोई भी रजिस्ट्रीकृत पूर्त संस्था अपनी भूमि या जोत या उसके भाग और उससे प्राप्त प्रत्यागमों/आगमों का उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए करने का आशय रखती है, वह ऐसी भूमि या जोत या उसके भाग में के अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए उप-धारा (3) के अधीन कोई आवेदन कर सकेगी और उस दशा में इस धारा के उपबंध इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि ऐसे प्रयोजन उप-धारा (3) के और उप-धारा (6) के परन्तुक के लिए उपबंधित किए हुए समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण.- इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, " भूमि या जोत" के अन्तर्गत सरकार द्वारा मुफ्त या नाममात्र की रकम पर या पट्टे पर आवंटित भूमि नहीं है, जब तक राज्य सरकार अन्यथा अनुज्ञात नहीं करे।

(12) इस धारा के अधीन, ऐसी भूमियों के संबंध में कोई कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की जायेंगी या आदेश नहीं किये जायेंगे जिनके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 33) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम स. 11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

स्पष्टीकरण.-

I. कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों, जैसे काश्तकार के निवासीय गृह (उसकी जोत के 1/50 वें भाग या 500 वर्गगज, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा के अध्यधीन रहते हुए), पशु प्रजनन, दुग्ध उद्योग, चारा भण्डारण, कुक्कुट पालन, उद्यान-कृषि, वन विकास, जलाशय, कुआ, चरागाह, बाग भूमि के लिए और उससे आनुषंगिक या संसक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के आंशिक उपयोग का अर्थ अकृषिक प्रयोजनों के रूप में नहीं लगाया जायेगा।

II. उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के अधीन कोई नगरपालिका गठित की गयी है या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन कोई नगर सुधार न्यास गठित किया गया है या जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण गठित किया गया है।

III. इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नगरयोग्य सीमाओं" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार

की गयी किसी नगर या किसी शहर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में यथा उपदर्शित नगरयोग्य सीमाएं, और जहां कोई भी मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं हो, वहां उस क्षेत्र की नगरपालिक सीमाएं, अभिप्रेत हैं।

IV. (i) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "उपांत-पट्टी" से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी नगर या किसी शहर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में यथा उपदर्शित उपांत-पट्टी, और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं हो या जहां ऐसी योजना में उपांत-पट्टी उपदर्शित नहीं की गयी हो, वहां वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये।

(ii) जहां किसी गांव का कोई भाग उपांत-पट्टी के अन्तर्गत आता है, वहॉ सम्पूर्ण गांव उपांत-पट्टी के के अन्र्तगत समझा जायेगा।

XX XX XX XX

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

54-ख. कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमितीकरण आदि.- (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन प्राधिकरण के अधीन रखी हुई समझी गयी हैं, उनके खातेदारों के खातेदारी अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर, अधिमानत: ऐसे व्यक्तियों को, जो आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा उन्हें किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या काश्तकार या ऐसे काश्तकार के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसके खातेदारी अधिकार उक्त उपबंध के अधीन पुनर्गृहीत या अभ्यर्पित किये गये हैं, उन्हें भूमि के अन्तरण के किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखते हैं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और प्राधिकरण को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आबंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं/सेवाओं, जैसे पार्क, पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, पैदल रास्ते, मलप्रवाह नाली, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाइनों, चिकित्सालय, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशानघाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से निश्चित किया गया है।

(2) XXXX XX XX

XX XX XX XX

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सख्यांक 2) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

49. कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमितीकरण आदि.- (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन प्राधिकरण के अधीन रखी हुई समझी गयी हैं, उनके खातेदारों के खातेदारी अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर, अधिमानत: ऐसे व्यक्तियों को, जो आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा उन्हें किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या काश्तकार या ऐसे काश्तकार के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसके खातेदारी अधिकार उक्त उपबंध के अधीन पुनर्गृहीत या अभ्यर्पित किये गये हैं, उन्हें भूमि के अन्तरण के किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखते हैं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और प्राधिकरण को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी :

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आबंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं/सेवाओं, जैसे पार्क, पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, पैदल रास्ते, मलप्रवाह नाली, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाइनों, चिकित्सालय, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशानघाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से निश्चित किया गया है।

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) से लिए गये उद्धरण

XX XX XX XX

60.न्यास द्वारा भूमि का व्ययन.-(1) से (3) **XX XX**

(4) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन न्यास के अधीन रखी हुई समझी गयी हैं, उनके खातेदारों के खातेदारी अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर, अधिमानत: ऐसे व्यक्तियों को, जो आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा उन्हें किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या काश्तकार या ऐसे काश्तकार के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसके खातेदारी अधिकार उक्त उपबंध के अधीन पुनर्गृहीत या अभ्यर्पित किये गये हैं, उन्हें भूमि के अन्तरण के किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखते हैं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और प्राधिकरण को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आबंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं या सेवाओं, जैसे उद्यानों, पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ, मल प्रवाह, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाईनों, अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से चिन्हित किया गया है।

(5) XX XX XX XX

XX XX XX XX

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

71. कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमन आदि.-(1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन खातेदारों के अभिधारण अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी हैं, अधिमानत: ऐसे व्यक्तियों को, जो उक्त धारा 90-ख की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर या, यथास्थिति उक्त धारा 90-ख की उप-धारा (3) के अधीन उस व्यक्ति को जिसने भूमि अभ्यर्पित की है, कब्जा रखते हैं, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और आबंटन के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात् और नगरपालिका को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जायें, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होंगी:

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आबंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं या सेवाओं, जैसे उद्यानों, पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ, मल प्रवाह, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाईनों, अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से चिन्हित किया गया है।

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX

337. राज्य सरकार की नियम बनाने तथा आदेश पारित करने की शक्ति.-(1) **XX XX XX XX**

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों पर नियम बनायेगी-

(i) से (xvii) **XX XX XX XX**

(xviii) वे निबंधन और शर्तें जिन पर और वे प्रभार या प्रीमियम, जिनके संदाय के अध्यधीन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख के अधीन नगरपालिका के नियंत्रण के अधीन रखी हुई समझी गयी भूमि नगरपालिका द्वारा आबंटित या नियमित की जा सकेगी, विहित करने के लिए;

(xix) से (xli) **XX XX XX XX**

(3) से (6) **XX XX XX**

XX XX XX XX

(Authorized English Translation)

Bill No. 13 of 2012

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

Amendments in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- After the existing sub-section (5) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(6) Where permission under this section is sought with respect to a land situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired non-agricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force, if any, in that area.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area, on and from the date of such order,-

(a) tenancy rights over such land of the person to whom permission under this

section is granted shall stand extinguished; and

(b) the land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section, or to the successors, assignees or transferees of such person, by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4).

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before 17th June, 1999 any person, holding any land for agricultural purposes in an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/ or by executing power of attorney and/or Will or in any other manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in this behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta

given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

(i) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf;

(ii) no proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) Any person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefor. An order passed under this sub-section shall be final.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "local authority", in relation to a local area, means an authority constituted or designated for, or entrusted with the function of, planned development of that area and includes an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban

Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);

(b) "urban area" means an area falling within Jaipur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), Jodhpur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or an area specified as such in a notification issued under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or an area for which a local authority is constituted or designated under any law for the time being in force;

(c) "urbanisable limits" means the urbanisable limits indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan, the outer limits of the municipal area;

(d) "peripheral belt" means the peripheral belt indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government from time to time.".

3. Deletion of section 90-B, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- The existing section 90-B of the principal Act shall be deleted.

CHAPTER-III

Amendment in the Jaipur Development Authority Act, 1982

4. Amendment of section 54-B, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing sub-section (1) of section 54-B of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following shall be substituted, namely:-

> "(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-IV

Amendment in the Jodhpur Development Authority Act, 2009

5. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 49 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following shall be substituted, namely:-

> "(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-V

Amendment in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959

6. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-For the existing sub-section (4) of section 60 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the following shall be substituted, namely:-

> "(4) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Trust under section 90-A of the Rajasthan

Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Trust to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Trust of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-VI

Amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 2009

7. Amendment of section 71, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 71 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Municipality under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Municipality to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Municipality of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

8. Amendment of section 337, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing clause (xviii) of sub-section (2) of section 337 of the principal Act shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is of the view that there are certain difficulties in conversion of agricultural land under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, hence the State Government has decided to delete section 90-B.

However, it has also been decided that with regard to agricultural lands which have been used for non-agricultural purposes prior to 17th June, 1999 conversion would continue to be done in the manner it was being done earlier. So it is felt that necessary provisions be incorporated in section 90-A.

Accordingly, section 90-B is proposed to be deleted and certain provisions are proposed to be inserted in section 90-A with a view to provide for simplified, transparent and speedy conversion in urban areas.

Deletion of section 90-B and amendment in section 90-A requires amendment in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and consequential amendment in other laws, namely, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009, which are also proposed.

This Bill seeks to achieve aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the terms and conditions for allotment or regularization of land.

Clause 5 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the terms and conditions for allotment or regularization of land.

Clause 6 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the terms and conditions for allotment or regularization of land.

Clause 7 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the terms and conditions for allotment or regularization of land.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956
(Act No. 15 of 1956)

XX XX XX XX

90-B. Termination of rights and resumption of land in certain cases.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before the commencement of the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 1999 (Rajasthan Act No. 21 of 1999) any person, holding any land for agricultural purposes in urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof, as the case may be, for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof, as the case may be, for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or Will or in any other manner, for purported non-agricultural use, the rights and interest of such a person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and such land shall be liable to be resumed.

(2) Where any land has become liable to be resumed under the provisions of sub-section (1), the Collector or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall serve a notice, calling upon such person to show cause why the said land may not be resumed summarily, and among other things, such notice may contain the particulars of the land, cause of proposed action, the place, time and date, where and when the matter shall be heard.

(3) When the tenant or the holder of such land or any person duly authorised by him, as the case may be, makes an application to the Collector or the officer authorised by the State Government in this behalf, expressing his willingness to surrender his rights in such land, with the intention of developing such land for housing, commercial, institutional, semi-commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for such other community facilities or public utility purposes, as may be notified by the State Government, the Collector or officer authorised by the State Government in this behalf, shall upon being satisfied about the willingness of such person, order for termination of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of such land.

(4) The proceedings in the matter shall be conducted summarily and shall ordinarily be concluded within a period of

sixty days from the first date of hearing specified in the notice served under sub-section (2).

(5) Where, after hearing the parties, the Collector or the officer authorised by the State Government in this behalf, is of the opinion that the land is liable to be resumed under sub-section (1), he shall after recording reasons in writing, order for termination of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of the said land.

(6) The land so resumed under sub-sections (3) and (5) shall vest in the State free from all encumbrances and shall be deemed to have been placed at the disposal of the concerned local authority under section 102-A of this Act with effect from the date of passing of such order:

Provided that the land surrendered under sub-section (3) above, shall be made available to the person, who surrenders the land, for its planned development in accordance with the rules, regulation and bye-laws applicable to the local body concerned, for housing, commercial, institutional, semi-commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for other community facilities or public utility purposes.

(7) The person, aggrieved by the order made under sub-section (5), may appeal to the Divisional Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf, within thirty days of passing of order under sub-section (5).

(8) The Divisional Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf shall, after hearing the parties, pass appropriate orders in such appeal within a period of sixty days from the date of presentation of appeal before him.

(9) The order passed by the Divisional Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf in appeal under this section shall be final.

(10) No civil court shall have jurisdiction to entertain or decide any suit or proceeding questioning the order made under sub-section (5) by the Collector or the officer authorised by the State Government or an order made under sub-section (8) by the Divisional Commissioner or the officer authorised by the State Government.

(11) Nothing in this section shall apply to any land belonging to Deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf:

Provided that where any public trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 or any registered charitable institution intends to use its land or holding or part thereof and

returns/proceeds received therefrom for the purposes of fulfilment of its aims and objectives, it may make an application under sub-section (3) to surrender its rights in such land or holding or part thereof and in that case provisions of this section shall apply with the modification that such purposes shall be deemed to have been provided for in sub-section (3) and proviso to sub-section (6).

Explanation.- For the purposes of this proviso, "land or holding" does not include the land allotted by the State Government free of cost or on token amount or on lease unless the State Government permits otherwise.

(12) No proceedings or orders under this section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

Expalnation.- I. Part use of the land for purposes sub-servient to the agriculture such as residential house of the tenant (subject to the limit of 1/50th part of his holding or 500 sq. yards whichever is less) cattle breeding, dairy farming, fodder storage, poultry farming, horticulture, forestry development, water tank, well, pasturage, grove land and such other purposes ancillary thererto or connected therewith shall not be constructed to mean non-agricultural purposes.

II. For the purpose of sub-section (1), urban area shall mean an area for which a municipality is constituted under the Rajasthan Municipality Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) or Urban Improvement Trust is constituted under Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or the Jaipur Development Authority is

constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982).

III. For the purposes of this section, "urbanisable limits" means, the urbanisable limits as indicated in the master plan or the master development plan of a city or a town prepared under any law for the the time being in force, and where there is no master plan or master development plan, the municipal limits of the area.

IV. (i) For the purposes of this section, "peripheral belt" means, the peripheral belt as indicated in the master plan or master development plan of a city or a town prepared under any law for the time being in force, and where there is no master plan or master development plan, or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government from time to time.

(ii) Where any part of a village falls within the peripheral belt, the whole village shall be deemed to be within the peripheral belt.

XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982 (Act No. 25 of 1982)

XX XX XX XX

54-B. Allotment, regularisation etc. of certain lands.- (1) All lands which are deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) upon resumption or surrender of tenancy rights and interest of khatedars thereof, as the case may be, shall be available for a allotment, or regularisation, preferably to the persons having possession over

such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made or Patta given to them by the Housing Co-operative Society or on the basis of any other document of transfer of land to them either by tenant or any other person claiming through the tenant, whose tenancy rights have been resumed or surrendered, under the said provision on such terms and conditions and subject to payment to the Authority of such charges or premium or both, as the case may be, and at such rates as may be prescribed by the State Government in this behalf:

Provided that no allotment or regularisation of any land shall be made which has been duly earmarked for public utilities/services such as park, nursery, civil or military aviation, bus stand, transport terminal, railways, public roads, highways, footpath, sewage lines, water supply, electricity supply, telephone lines, hospital, school, educational institution, university, cremation ground, grave yard and such other purposes as the State Government may specify by notification in the Official Gazette.

(2) xx xx xx xx

XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009
(Act No. 2 of 2009)

XX XX XX XX

49. Allotment, regularisation etc. of certain lands.- (1) All lands which are deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) upon resumption or surrender of tenancy rights and interest of khatedars thereof, as the case may be, shall be available for allotment, or regularisation, preferably to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made or Patta given to them by the Housing Co-operative Society or on the basis of any other document of transfer of land to them either by tenant or any other person claiming through the tenant, whose tenancy rights have been resumed or surrendered, under the said provision on such terms and conditions and subject to payment to the Authority of such charges of premium or both, as the case may be, and at such rates of as may be prescribed by the State Government in this behalf:

Provided that no allotment or regularisation of any land shall be made which has been duly earmarked for public utilities/services such as park, nursery, civil or military aviation, bus stand, transport terminal, railways, public roads, highways, footpath, sewage lines, water supply, electricity supply, telephone lines, hospital, school, educational institution, university, cremation ground, grave yard and such other purposes as the State Government may specify by notification in the Official Gazette.

(2) xx xx xx xx

XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959
(Act No. 35 of 1959)

XX XX XX XX

60. Disposal of land by the Trust.- (1) to (3) xx xx

(4) All lands which are deemed to have been placed at the disposal of the Trust under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) upon resumption or surrender of tenancy rights and interest of khatedars thereof, as the case may be, shall be available for a allotment or regularization preferably to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made or Patta given to them by the Housing Co-operative Society or on the basis of any other document of transfer of land to them either by tenant or any other person claiming through the tenant, whose tenancy rights have been resumed or surrendered, under the said provision on such terms and conditions and subject to payment to the Trust of such charges or premium or both, as the case may be, and at such rates as may be prescribed by the State Government in this behalf:

Provided that no allotment or regularization of any land shall be made which has been duly earmarked for public utilities/services such as park, nursery, civil or military aviation, bus stand, transport terminal, railways, public roads, highways, footpath, sewage lines, water supply, electricity supply, telephone lines, hospital, school, educational institution, university, cremation ground, grave-yard and for such other purposes as State Government may specify by notification in the Official Gazette.

(5) xx xx xx xx

XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009
(Act No. 18 of 2009)

XX XX XX XX

71. Allotment, regularization etc. of certain lands.- (1) All lands which are deemed to have been placed at the disposal of a Municipality under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956) upon resumption or surrender of tenancy rights and interest of Khatedars thereof, as the case may be, shall be available for allotment or regularization preferably to the persons having possession on the basis of documents referred to in sub-section (1) of the said section 90-B or as the case may be to the person who surrendered the land under sub-section (3) of the said section 90-B, on such terms and conditions and after examining their eligibility or allotment and subject to payment to the Municipality of such charges or premium or both as the case may be, and at such rates as may be prescribed by the State Government in this behalf:

Provided that no allotment or regularization of any land shall be made which has been duly earmarked for public utilities or services such as park, nursery, civil or military aviation, bus-stand, transport terminal, railways, public roads, highways, footpath, sewage lines, water supply, electricity supply, telephone lines, hospital, school, educational institution, university, cremation ground, grave-yard and for such other purposes as the State Government may specify by notification in the Official Gazette.

(2) xx xx xx xx

XX XX XX XX

337. Power of State Government to make rules and orders.- (1) xx xx xx xx

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government shall make rules-

(i) to (xvii) xx xx xx xx

(xviii) for prescribing the terms and conditions on which, and the charges or premium subject to the payment of which, the land deemed to have been placed at the disposal of the Municipality under section 90-B of the Rajasthan Land

	Revenue Act, 1956 may be allotted or regularized by the Municipality;			
(xix) to (xli)	xx	xx	xx	xx
(3) to (6)	xx	xx	xx	xx
XX	**XX**	**XX**	**XX**	

2012 का विधेयक सं. 13

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कृष्ण मुरारी गुप्ता,
उप सचिव।

(शांति कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 13 of 2012

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

Further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

KRISHAN MURARI GUPTA,
Deputy Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, **Minister-Incharge**)